केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/299 दिनांक: 06.12.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00261
CICOM/R/2018/01013

अपीलकर्ता : श्री मुस्तकीम, पुत्र – श्री नईम सलमानी,
452 क/17, पजावा रोड,
ठाकुरगंज, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश – 226003.

निर्णय की तारीख : 06.12.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.10.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	25.10.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	गैरदिनांकित
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	551/28.11.2018 (5755/27.11.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 18.07.2017 के द्वितीय अपील से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/01013/CR-1 के माध्यम से दिनांक 25.10.2018 को प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा प्रेषित Facilitation Memo की वेबसाईट से डाउनलोडेड प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है, जिसे अपीलकर्ता आयोग की वेबसाइट के लिंक https://dsscic.nic.in/appeal-comp-status-dak-file/search_dak/2 में वर्ष 2017 में अपनी डायरी सं. 151288 डालकर भी देख सकते हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
06 DEC 2018
D. No.
Initials.

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

06/12/18